

कानपुर विकास प्राधिकरण
मोतीझील, कानपुर।

परामिट फॉर्म

संख्या : 119/79/447/05-08

सेवा में,

दिनांक 26-04-08

श्री संतोष कुमार मेहरा आदि,

8/21 आर्य नगर,

कानपुर।

महोदय,

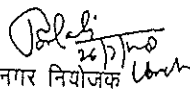
आराजी संख्या 530/2, 522/2, 29, 528/2, 531/2, 527/2, 533/2, 44, 45, 532, 528/1, 531/1, 530/1 व 533/1 बैरी अकबरपुर, कानपुर में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिसे संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है, निम्नादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संश्लेषित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकारों पर किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरित किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान में मकान इत्यादि बनाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जायें।
6. अग्नि शमन विभाग द्वारा भवन निर्माणकर्ता को प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार प्राविधान सुनिश्चित करना होगा एवं निर्माण के उपरान्त अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. अग्नि शमन विभाग को प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा प्राधिकरण से भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र (भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 की संशोधित संख्या 2.1.8 व 3.1.8) प्राप्त करने के उपरान्त ही केस्को द्वारा निर्माणकर्ता को स्थायी विद्युत संयोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
8. भवन निर्माता, प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्लैट/भवन/कार्यालय आदि की रजिस्ट्री आवंटि के पक्ष में करेगा एवं कर्रेंजा हस्तागत करेगा।
9. मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माणकर्ता निर्माण करेगा। सैटबैक, भवन की ऊँचाई, पार्किंग स्थल, एफ.ए.आर. आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन, शमनीय न होगा। स्वीकृति के विपरित किया गया अवैध निर्माण भवन निर्माता के हर्जे-खर्जे पर बिना नोटिस दिये ध्वस्त कर दिये जायेगा।
10. भवन निर्माण एवं विकस उपविधि, 2000 के अध्याय-2 भाग-1 की धारा 2.1.6 व 2.1 के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना एवं निर्माण में विचलन की सूचना देना एवं स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
11. संलग्न, विस्तृत शर्तों का पालन करना होगा।
12. निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में नेशनल बिल्डिंग कोड के दिशा - निर्देशों के अनुसार किया जायगा।
13. निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
14. गैर वाटर हार्वैस्टिंग मशीन/व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार करनी होगी।
15. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
16. रेलवे क्रासिंग को 18.0 मी० चौड़ा करने का प्राविधान को भवन निर्माण से पूर्ण करना होगा।
17. लम्बे ब्लाक में से अग्नि शमन के लैंडर वाहन को पार करने की सुविधा को किया जाना होगा।

संलग्नक - स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

प्रतिलिपि -

प्रदत्त विभाग को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित।


नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण
पी. के. मोहम्मद
संयोजक व सचिव
तारीख 26/04/08

नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण